भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 970

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि

970. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान दोषियों पर लगाए गए दंड या जुर्माने का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा परिभाषित धोखाधड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। धोखाधड़ियों के मामले में जांच का कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 और 210 के अंतर्गत क्रमश गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशकों (आरडी) को सौंपा जाता है। पिछले पांच वर्षों में कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में वृद्धि के संबंध में ऐसी कोई सत्यापित सूचना इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आई है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान एसएफआईओ, आरडी को जांच के लिए सौंपे गए मामलों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): एसएफआईओ, कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने धोखाधड़ी के लिए सक्षम न्यायालयों के समक्ष अनेक शिकायतें फ़ाइल की हैं और ऐसे मामले न्यायाधीन हैं जिनमें दंड अथवा शास्ति दी जानी है।

(घ): सरकार ने गंभीर कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिए दिनांक 2 जुलाई, 2003 के सरकारी संकल्प के माध्यम से गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का गठन किया था। केन्द्रीय सरकार ने कंपनियों सहित उन मामलों की एसएफआईओ जांच के आदेश दिए हैं और उन्हें सौंपा है जहां कारपोरेटों द्वारा कथित धोखाधड़ी कार्यकलापों की सूचना दी गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ियों को रोकने एवं उन्हें नियंत्रित करने के लिए निम्नानुसार कई अन्य उपाय किए हैं -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 में 'धोखाधड़ी' को एक महत्वपूर्ण अपराध के रूप में पुरःस्थापित किया गया है;

(ii) प्रत्येक मौजूदा अथवा भावी निदेशक के लिए 'निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)' प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है;

(iii) नई कंपनी के निगमन अथवा विद्यमान कंपनी के पते में परिवर्तन के मामले में, मंत्रालय ने व्यावसायिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे कंपनी के ब्यौरे का सत्यापन करें और व्यक्तिगत रूप से उनके परिसरों का दौरा करें तथा यह प्रमाणित करें कि परिसर कंपनी के अधिकार में है;

(iv) मंत्रालय ने निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्तियों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से पूर्व-नियोजित उपाय भी किए हैं जो विभिन्न शहरों में तीन व्यावसायिक संस्थानों नामतः भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सहयोग से नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(v) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने निदेशकों और कंपनियों के लिए केवाईसी मानदंड भी शुरू किए हैं।

*****

दिनांक 10.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 970 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जांच के अधीन कंपनियों की संख्या:

वित्तीय वर्ष	**प्रादेशिक निदेशकों द्वारा जांच के अधीन कंपनियां**	**एसएफआईओ द्वारा जांच के अधीन मामले**
2019-20	102	26
2020-21	65	20
2021-22	39	14
2022-23	205	07
2023-24	51	05
कुल	**462**	**72**

*****